कार्यालय,आयुक्त जनजातीय कार्य
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षा स्था.2/691/2022/ 21932 भोपाल दिनांक:- 2/11/22

प्रति,

आयुक्त
लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

विषय:-जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत नियुक्ति प्राप्त उच्च माध्यमिक/माध्यमिक शिक्षको को संयुक्त चयन प्रक्रिया से बाहर रखने बाबत्।

-0-

स्कूल शिक्षा विभाग व्दारा शिक्षा विभाग मे नियुक्ति प्राप्त उच्च माध्यमिक शिक्षको/माध्यमिक शिक्षक को स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग व्दारा उच्च माध्यमिक/माध्यमिक शिक्षको की नियुक्ति हेत की जा रही संयुक्त काउंसलिंग मे प्रोफाईल पंजीयन हेतु प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।

यहॉ पर उल्लेख है कि उच्च माध्यमिक/माध्यमिक शिक्षको के लिये दोनो विभाग स्कूल शिक्षा विभाग ए जनजातीय कार्य विभाग के रिक्त पदो पर संयुक्त काउसलिंग की जा रही है,ऐसी स्थिति मे प्रोफाईल पंजीयन/चयन हेतु एक जैसी प्रक्रिया/मापदंड अपनाया जाना नियमानूकुल होगा।

अतः जनजातीय कार्य विभाग की संस्थाओ मे शिक्षको की कमी को देखते हुये लेख है कि स्कूल शिक्ष विभाग मे नियुक्ति प्राप्त उच्च माध्यमिक/माध्यमिक शिक्षको की तरह जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत नियुक्त प्राप्त कर चुके उच्च माध्यमिक शिक्षको/माध्यमिक शिक्षको,जिनकी सूची संलग्न है,को भी दोनो विभाग व्दारा की जा रही संयुक्त काउंसलिंग मे चयन प्रक्रिया मे शामिल नही किया जाना चाहिए इसके अतिरिक्त मॉप-अप राउण मे भी उच्च माध्यमिक/माध्यमिक शिक्षको के नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है,जिसकी सूची पृथक से उपलब्ध कराई जायेगी।कृपया इस संबंध मे आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

आयुक्त
जनजातीय कार्य
मध्यप्रदेश

पृक्रमांक/शिक्षा स्था.2/691/2022/ 21933 भोपाल दिनांक:- 2/11/22

प्रतिलिपि:-

उप सचिव,मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग,मंत्रालय भोपाल म.प्र.की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त
जनजातीय कार्य
मध्यप्रदेश